IV 01/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 266965

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

"शान्ती जनसेवा संस्थान "

दिनांक 02/01/2013

यह न्यास विलेख सच्चिदानन्द राय पुत्र स्व0 चन्द्रबली राय, ग्राम –अमौड़ा, पोस्ट– पन्दहाँ, तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है। हम मुकिर समाज के आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाजमें सुख शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिकता ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग–भेद,जाति–पाति, छुआ–छुत, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की बावत 2000/– (दो हजार रूपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगें। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "**शान्ती जनसेवा संस्थान** " पत्र में आगे "संस्थान" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

सच्चिदानन्द राय

क्रमशः...2

१६४
क्रमांक १ कीमत १०० दिनांक 2/1/1306
नाम सच्चिदानन्द राय S/O स्व० चन्द्रवली राय
ग्राम अमौड़ा बेलौंदी सेलताबाद
पता सालोज आजमगढ़

राजकुमार सिंह

न्यास विलेख
2000/-

100/- +20/- +20/- = 140/- 3200

सच्चिदानन्द राय स्व० चन्द्रवली
अमौड़ा
बेसा दौलताबाद
02-01-13

जिला आजमगढ़ मे
3/4

02/1/13

सच्चिदानन्द राय

सच्चिदानन्द राय पुत्र स्व० चन्द्रवली साकिन
अमौड़ा पर० बेलौंदी सेलताबाद तह०
लालगंज जिला आजमगढ़

अशोक कुमार सिंह श्यामनारायन
लेखपाल
प्रयोग सत्यदेव सिंह एडवो० तह० लालगंज

02/1/13
सच्चिदानन्द राय
अशोक कुमार
सत्यवादी एडवो०

2/1/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 266966

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय ग्राम –अमौड़ा, पोस्ट– पन्दहाँ, जिला–आजमगढ़ होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 1 या 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

1. श्री दीपक पुत्र सच्चिदानन्द , ग्राम –अमौड़ा, पो0 – पन्दहाँ, जिला– आजमगढ़।
2. श्री राजन पुत्र सच्चिदानन्द , ग्राम –अमौड़ा, पो0 – पन्दहाँ, जिला– आजमगढ़।
3. श्री आलोक पुत्र सच्चिदानन्द , ग्राम –अमौड़ा, पो0 – पन्दहाँ, जिला– आजमगढ़।
4. श्री सूरज प्रकाश पुत्र सच्चिदानन्द , ग्राम –अमौड़ा, पो0 – पन्दहाँ, जिला– आजमगढ़।
5. श्री सत्यम पुत्र सच्चिदानन्द , ग्राम –अमौड़ा, पो0 – पन्दहाँ, जिला– आजमगढ़।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा **"शान्ती जनसेवा संस्थान "** / ट्रस्ट " के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना व **"शान्ती जनसेवा संस्थान "** / ट्रस्ट " के समस्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार – प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू0हा0स्कूल, हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक , स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों ,विधि महाविद्यालयों शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, टेक्निकल कालेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं

क्रमशः...3

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 266967

व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के समुदायिक विकास को परस्पर भाई–चारा, सम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति बफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. न्याय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावलीयके अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमादित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, ऊँच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शिक्षा प्रचार / प्रसार / उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भीक्षेत्र में सामान्य शिक्षा / गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियर, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल काले एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बनुाई ,पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैन,डीजल एवं मोटर मकेनिक,रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग , टाईपिंग, शार्ट हैण्ड , कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे–केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष,पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष,छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात,खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे – जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे–हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथ विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

क्रमशः...4

[illegible handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 266968

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गुंगे, बहरे, अंधों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / गरीब बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।
19. महिला संरक्षण गृह / विधवा पुनर्ववास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, घर्मशाला, सुलभ, शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण,औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था की उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन–देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे – यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवायों को प्रेरित / जागरूक / प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बीडी, सिगरेट, तम्बाकू पान मसाला, गांजा, भांग, स्मैक,एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाले बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क

क्रमशः...5

अदियदां-न-६२१५

(5)

20AA 409715

चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे–अन्धविश्वास, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता,जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना , युवतियों का खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

30. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना–विभिन्न त्यौहारों जैसे–होली, दीपावली, दशहरा, मुर्हरम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे–शादी , गवना, सालगिर , जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा,जिम्नास्टिक, जूडो–कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या बृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता /प्रशिक्षण दवा/कीट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

34. एड्स, कैन्सर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकी/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना

35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झूग्गी–झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

36. सरकारी कार्यक्रमों जैसे, डूडा एवं सूडा को संचालित करना।

37. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल , शौचालय नाली,सड़क निर्माण, खण्डजा, पीच,पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

38. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का

क्रमशः...6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AB 121134

शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। तिलहन–दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

40. बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण /उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भूखमरी,बाढ़, आग, सूखा, अकाल,चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँव व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहिचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भाव्री रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/ गो वंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/बैंक की व्यवस्था करना।

45. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

48. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

क्रमशः...7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AB 121133

49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़–नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 , एसोसियेशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।
51. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्मिलित हैं।
52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथाउन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
54. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
55. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
56. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
57. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
58. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
59. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
60. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
61. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
62. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
63. उपरोक्त नियम/प्रतिबन्ध क्र0सं0 55 से 62 तक में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/ परिवर्धन/

लखिचन्द दीनदयाल

क्रमशः..8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AB 121132

संशोधन नहीं किया जायेगा।

5. <u>न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–</u>

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।
3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियां को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. न्यास के अधीन स्थातिप संस्थाओं व समितियों की सदस्यस्ता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयाँ गठित करना।
5. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों,चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।
9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, विभागों में दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

20. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था क अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थातिप शैक्षिक संस्थाओं क सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रसाशन योजना कर तैयार सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6. <u>*न्यास की प्रबन्ध व्यवस्थाः–*</u>

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AB 121131

(क) न्यास का गठन एवं संचालन– न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1. न्यायके मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाय तो न्यास के शेष न्यासियों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसाा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नहीं होगा।

5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास

क्रमशः..10

चिदानन्द

73AB 121130

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसाररी प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसक लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) ***न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः–***

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. ***मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्यः–***

– इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
– न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
– न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
– न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।
– न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
– न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
– न्यास द्वारा तथा न्यास के विरूद्ध विधिक कार्यवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुखतार नियुक्त करना।
– इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

क्रमशः..11

ल हिन्दयाल्ना 2१५

(11)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AB 121153

- न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- न्यास का आय–व्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8. ***न्यास के कोष की व्यवस्था:–***

न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ व ऋण राशियाँ निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. ***न्यास के अभिलेख:–***

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था:–

न्यासी जिसे की मुख्य न्यासी उचित समझें अधिकिस्त होंगे।

- यहकि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा। या बेच सकेगा।
- यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।
- न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।
- न्यास द्वारा न्यास के विरूद्ध किसी भी बैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

सच्चिदानन्द

क्रमशः..12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

73AB 121137

- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एंव सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा। अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एंव पूर्ति की लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होंगे।

घोषणा–पत्र

"**शान्ती जनसेवा संस्थान**" की तरफ से हम सच्चिदानन्द राय मुख्य न्यासी के रूप में हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. नाम : गिरजा शंकर S/o महेश्वर मिश्र
पता : सा० रेरवाँ चन्द्रभानपुर पो० लालगंज आजमगढ़

2. नाम : अशोक कुमार पुत्र श्यामनरायन
पता : ग्रा० पो० लहुरी काशी जि० आजमगढ़

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

सच्चिदानन्द राय

मसविदाकर्ता
सत्यदेव सिंह एड०

टंकणकर्ता : राधेश्याम यादव

१६४/१२ १०| २|१|१९६६

४न०१६४/१

राजकुमारि

4 51 65/88

02-01-13 01